न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00061 (240/2017) 225 आरटीएक्ट

रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर । –अपीलाण्ट

बनाम

नेक मोहम्मद पुत्र फतूराम जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर ।

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2017 उपखण्ड अधिकारी, नोहर, जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 25/2015 बअनवानी रामेश्वरी बनाम नेक मोहम्मद

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या

निर्णय दिनांकः–30.04.2019

1. उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अपीलार्थीया ने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु गैर सालान की भूमि चक 15 एनटीआर (ए) पत्थर नं. 362/416 मुरब्बा नम्बर 5 किला नं. 11, 12 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1–1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड अंकन करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया की भूमि में आने जाने के लिए मांगा गया रास्ता सही निकटतम एवं सुविधा जनक है। अपीलाण्ट के खेत में आने जाने के लिए प. नं. 362/416 (5) के किला नं. 11, 12 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है। यही रास्ता नजदीकी है और सुविधाजनक है, जो मौका रिपोर्ट व नक्शा नजरी से स्पष्ट है। अदालत मातहत ने मौका की स्थिति के खिलाफ जाते हुए रास्ता लोक अदालत कैम्प गोगामेड़ी में लोक अदालत की भावना के खिलाफ निर्णय पारित किया है। मगर मातहत अदालत ने रास्ता जैसी अहम सुविधा पर कोई मनन ना करते हुए अपीलांट को नियम विरूद्ध रास्ता की सुविधा से वंचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आ आदेश निरस्त कर रास्ता स्वीकृत किया जावे।
4. विद्वान अधिक्ता रेस्पोडण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट सुविधाजनक रास्ता चाहता है। रास्ता मुरब्बा के बीच से प्रार्थी चाहता है जबकि रास्ता पत्थर लाईन के साथ साथ ही स्वीकृत किया जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.8.2017 पेज 515 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अपनी भूमि में जाने के लिए प. नं. 362/416 (5) के किला नं. 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्व 1–1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा है। विचारण न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया है कि सायल को अपनी भूमि में जाने के लिए पत्थर लाईन पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है फिर भी पत्थर लाईन पर रास्ता ना मांगा जाकर पत्थर के बीच में से रास्ता मांगा गया है। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता है। तहसीलदार की रिपोर्ट में अपीलाण्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता होने के संबंध में कोई अंकन नहीं है। फिर भी अपीलाण्ट की भूमि के लिए मु. नं. 362/416 (5) किला नं. 11, 12 में ही उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है कि अपीलाण्ट की भूमि के लिए अन्य कोई रास्ता है या नहीं। सिर्फ इतना अंकित किया है कि किला नं. 11, 12 के दक्षिण दिशा के पश्चिम से पूर्व 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इस रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही है। इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं है कि यह रास्ता उचित है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) में प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जिसमें यह अंकित करते हुए कि पत्थर लाईन पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है। मांगा गया रास्ता यदि निकटतम है तो यह क्यों नही किया जा सकता। सिर्फ पत्थर लाईन का हवाला देते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं है। वैसे भी राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) प्रार्थी की अनुपस्थिति में उसके प्रार्थना–पत्र को इस तरह से सरसरी तौर पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर एवं तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official